न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/41/2025	2024/320	04.12.2025	24.12.2025

1. अंगूरी देवी पत्नी श्री देवीसहाय सैनी,
2. कपिल सैनी पुत्र श्री ताराचंद सैनी,
3. गीता सैनी पुत्री श्री शंकरलाल सैनी,
4. धीरज कुमार सैनी पुत्र श्री तुलसीराम सैनी,
5. नानकराम सैनी पुत्र श्री रामकिशन सैनी,
6. पूजा सैनी पुत्री श्री ताराचंद सैनी,
7. पूरणमल सैनी पुत्र श्री मोतीलाल,
8. प्रमोद कुमार सैनी पुत्र श्री देवीसहाय सैनी,
9. पिंकी सैनी पुत्री श्री रामकिशन सैनी,
10. मनीष कुमार सैनी पुत्र श्री तुलसीराम सैनी,
11. मनोज कुमार पुत्र श्री शंकरलाल सैनी,
12. मीनू सैनी पुत्री श्री सोहनलाल सैनी,
13. योगेश कुमार सैनी पुत्र श्री देवीसहाय सैनी,
14. रेणु सैनी पुत्री श्री तुलसीराम सैनी,
15. राजेश कुमार सैनी पुत्र श्री भुल्लन राम सैनी,
16. रामवती देवी पत्नी श्री शंकरलाल सैनी,
17. लक्ष्मी देवी पुत्री श्री भुल्लन राम सैनी,
18. लक्ष्मीनारायण सैनी पुत्र श्री मोतीलाल,
19. लाली सैनी पत्नी श्री रामकिशन सैनी,
20. विमला देवी पुत्री श्री मोतीलाल,
21. शशिकांत सैनी पुत्र श्री शंकरलाल सैनी,
22. संजय सैनी पुत्र श्री सोहनलाल सैनी,
23. संतरा देवी पत्नी श्री तुलसीराम सैनी,
24. सरोज देवी पत्नी श्री सोहनलाल सैनी,
25. सुषमा सैनी पुत्री श्री ताराचंद सैनी,

जातियान माली, निवासी शाहजी का बास, अलवर, तह0 व जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज०।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार अलवर नामा0 संख्या 1315 आदेश दिनांक 23.10.2025

उपस्थितः—

01—श्री ओमानन्द चौधरी —वकील अपी0

02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

—:<u>निर्णय</u>:—

यह अपील, अपीलाण्ट्स द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत, विद्वान तहसीलदार (भू०अ०) अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2025 नामान्तकरण संख्या 1315 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम अलवर नं0 2, तहसील व जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1150

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रकबा 0.2800 हैक्टेयर एवं 1152 रकबा 0.0400 हैक्टेयर के संबंध में मृतक मोतीलाल पुत्र श्री भींवा की विरासत का नामान्तरकरण खारिज कर दिया था। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो0 जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट्स के अनुसार उक्त आराजी के मूल खातेदार श्री मोतीलाल पुत्र श्री भींवा थे, जिनका स्वर्गवास दिनांक 17.03.1982 को हो चुका है एवं उनकी पत्नी श्रीमती गंगा देवी का स्वर्गवास दिनांक 04.07.1982 को हो चुका है। अपीलाण्ट्स उनके विधिक वारिसान हैं। अपीलाण्ट्स द्वारा विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन किया गया। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका व रिकॉर्ड के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज व तस्दीक करने की अनुशंषा की गई थी, परन्तु विद्वान तहसीलदार ने "वाद, स्थगन, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसानों की आईडी के अभाव" का हवाला देते हुए नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया। जिस आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान वकील अपीलाण्ट्स द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) अलवर राजस्थान दिनांक 23.10.2025 नामान्तकरण विरासत संख्या 1315 दिनांक 10.10.2025 ग्राम अलवर नं0 2 तहसील व जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक मोतीलाल पुत्र श्री भींवा जाति माली निवासी शाहजी का बास, अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान की पूर्व में कोई जानकारी हम अपीलान्टस को नही थी, क्योंकि उक्त आज्ञा तहत अदालत द्वारा हम अपीलान्टस को बिना सुने व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये, पारित की गई हैं, इस कारण से हम अपीलान्टस समयावधि में अपील पेश नही कर सकें, जिसमें हम अपीलान्टस की कोई लापरवाही या बदयान्ती नही रही हैं। अब हम अपीलान्टस ने दिनांक 27.11.2025 को हमारे पूर्वज श्री मोतीलाल की विरासत से प्राप्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड देखकर मौखिक रूप से उक्त आलोच्य आज्ञा तहत अदालत की जानकारी दी। जानकारी होने पर हम अपीलान्टस ने दिनांक 27.11.2025 को नकल प्राप्त की। दिनांक 27.11.2025 को ही नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील अदालत श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। उसके बाद अपील करने हेतु आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 27.11.2025 से अपील बिना देरी के अन्दर अवधि अदालत श्रीमान में पेश की जा रही हैं। जहां आज्ञा आरम्भ से ही अवैध वो शून्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गयी हों, वहां मियाद का बिन्दू गौण हो जाता हैं, ऐसी आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पाबन्दी नही हैं, ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दू पर नरम रूख अपनाकर आलोच्य आज्ञा तहत अदालत दिनांक 23.10.2025 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 27.11.2025 तक का जो समय व्यतीत हुआ हैं, वह उक्त आलोच्य आज्ञा की हम अपीलान्टस को जानकारी नही होने के कारण व्यतीत हुआ हैं, जो कि नेकनियती वो युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में मुजरा दिए जाने योग्य हैं। जिस हेतु प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) अलवर राजस्थान दिनांक 23.10.2025 नामान्तकरण विरासत संख्या 1315 दिनांक 10.10.2025 ग्राम अलवर नं0 2 तहसील व जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक मोतीलाल पुत्र श्री भींवा जाति माली निवासी शाहजी का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

बास, अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान के खिलाफ यह प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य हैं।

आलोच्य आदेश तहसीलदार (भू०अ०) अलवर राजस्थान दिनांक 23.10.2025 नामान्तकरण विरासत संख्या 1315 दिनांक 10.10.2025 ग्राम अलवर नं0 2 तहसील व जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक मोतीलाल पुत्र श्री भींवा जाति माली निवासी शाहजी का बास, अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न कर अपील के साथ पेश की जा रही हैं।

आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) अलवर राजस्थान दिनांक 23.10.2025 नामान्तकरण विरासत संख्या 1315 दिनांक 10.10.2025 ग्राम अलवर नं0 2 तहसील व जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक मोतीलाल पुत्र श्री भींवा जाति माली निवासी शाहजी का बास, अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान विधि विरूद्ध तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, साक्ष्य, कब्जे व मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

हाल आराजी खसरा नम्बर 1150 रकबा 0.2800. हैक्टेयर, 1152 रकबा 0.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम अलवर नं0 2 तहसील व जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं,। उक्त आराजी के अभिलिखित खातेदार हम अपीलान्टस के पूर्वज मोतीलाल पुत्र श्री भींवा जाति माली निवासी शाहजी का बास अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्था थें, जिनका स्वर्गवास दिनांक 17.03.1982 को हो चुका हैं, तथा उनकी पत्नि श्रीमति गंगा देवी का स्वर्गवास दिनांक 04.07.1982 को हो चुका हैं। उक्त मृतक श्री मोतीलाल अपने जीवनकाल तक उक्त आराजी पर काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते रहे, तथा उनके स्वर्गवास उपरान्त हम अपीलान्टस उक्त आराजी पर काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उक्त मृतक मोतीलाल की विरासत का नामान्तकरण अपने हक में दर्ज व तस्दीक कराने के लिए हम अपीलान्टस ने विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानुसार तहत अदालत तहसीलदार (भू०अ०) अलवर राजस्थान के समक्ष आवेदन किया गया। लेकिन तहत अदालत ने आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजात व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये, बिना एंव मौका निरीक्षण किये बिना आलोच्य आज्ञा पारित कर उक्त नामान्तकरण खारिज किया गया हैं। इसलिए अपीलाधीन निर्णय तहत अदालत निरस्त किये जाने योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

हम अपीलान्टस द्वारा नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक कराने के लिए आवेदन पेश करने के उपरांत राजस्व कर्मचारी संबधित पटवारी हल्का द्वारा आलोच्य नामान्तकरण भरकर उस पर " श्रीमानजी मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वारिसान के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जॉच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत हैं " तथा राजस्व कर्मचारी भू–अभिलेख निरीक्षण द्वारा उक्त नामान्तकरण की जॉच कर" श्रीमानजी घटना बही क्रमांक 02 दिनांक 08.10.2025 की सत्य प्रति संलग्न हैं, एवं श्रीमान जी के आदेश क्रमांक / भू0अ0 / 6611 दिनांक 25.09.2025 की पालना में नामांतकरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही सात्रिदर प्रेषित हैं, " रिर्पोट कर तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिस पर तहत अदालत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए, "वाद, स्थगन, अधिग्रहण, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसानो की की आई डी व अन्य दस्तावेजो व स्पष्ट पटवारी रिर्पोट के अभाव में नामा० अस्वीकार हैं। बाद पूर्ति नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें" लिखकर उक्त नामान्तकरण खारिज किया गया हैं। जबकि समस्त साक्ष्य पत्रावली पर हैं। ऐसी स्थिति में तहत अदालत को उक्त नामान्तकरण को खारिज करने का कोई विधिक अधिकार नही था। लेकिन तहत अदालत ने विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए, आलोच्य निर्णय पारित किया हैं। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्त किये जाने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०) 25

योग्य हैं, तथा उक्त नामान्तकरण विरासत अपीलान्टस के हक में तस्दीक किए जाने योग्य हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

आलोच्य विरासत नामांतरकरण संख्या 1315 में वर्णित उक्त आराजी के अभिलिखित काबिज खातेदार अपीलान्टस के पूर्वज मोतीलाल थें, जिनका उक्त दिनांक को स्वर्गवास हो चुका हैं। हम अपीलान्टस मृतक जायदाद मोतीलाल के जायज वारिस काबिज उत्तराधिकारी हैं, तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनूसूची के सदस्य हैं, तथा उक्त मोतीलाल के मरने के बाद बहैसियत वारिस काबिज जायदाद उनकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति पर काबिज चले आ रहे हैं। जिस तथ्य की पुष्टि हम अपीलान्टस द्वारा तहत अदालत के समक्ष पेशकर्दा साक्ष्य से होती हैं। इसलिए मृतक मोतीलाल की विरासत का उक्त नामांतरकरण हम अपीलान्टस के हक में दर्ज व तस्दीक किया जाना चाहिये था। लेकिन तहत अदालत ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण आलोच्य आज्ञा पारित कर उक्त नामान्तकरण विरासत खारिज किया गया हैं। जो विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

विरासत नामान्तकरण के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र एक युक्तियुक्त दस्तावेजी साक्ष्य होता हैं, लेकिन रैस्पाडैन्ट द्वारा आलोच्य आज्ञा पारित करने से पूर्व अपना जाप्ता सही रूप से काम में नही लिया गया हैं, जिससे हम अपीलान्टा को काफी प्रेज्यूडिश होना पडा हैं। रैस्पाडैन्ट द्वारा आलोच्य आज्ञा विधि एवं तथ्यों के विपरित पारित की हैं, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित हैं। रैस्पाडैन्ट द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तकरण खारिज किया गया हैं। आलोच्य आज्ञा के कायम रहने से हम अपीलान्टस के अधिकारो का हनन होता हैं।

तहत अदालत ने आलोच्य आज्ञा पारित करने से पूर्व हम अपीलान्टस को कोई नोटिस जारी नही किया गया, ना अन्य किसी प्रकार से सूचित किया गया। तथा आलोच्य आज्ञा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित पीडित पक्षकार को बिना सुने व बिना साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिए, पारित किया गया हैं। तहत अदालत ने आलोच्य आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित की हैं। इसलिए निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

अतः यह अपील अपीलान्टस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) अलवर राजस्थान दिनांक 23.10.2025 नामान्तकरण विरासत संख्या 1315 दिनांक 10.10.2025 ग्राम अलवर नं0 2 तहसील व जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक मोतीलाल पुत्र श्री भींवा जाति माली निवासी शाहजी का बास, अलवर तहसील व जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमायी जावें, तथा उक्त नामान्तकरण विरासत संख्या 1315 दिनांक 23.10.2025 ग्राम अलंवर नं० 2 तहसील व जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक मोतीलाल हम अपीलान्टस के हक में दर्ज व तस्दीक करने की आज्ञा पारित की जावे।

सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलाण्ट्स का तर्क है कि उन्हें आलोच्य आदेश की जानकारी दिनांक 27.11.2025 को राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2025 के विरूद्व दिनांक 01.12.2025 को पेश की गयी है जो करीब 40 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। यह स्थापित विधि का सिद्धांत है कि किसी पक्षकार को बिना सुने पारित आदेश के विरुद्ध जानकारी होने की दिनांक से मियाद की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)
24/12/25

गणना की जानी चाहिए। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं माननीय राजस्व मण्डल के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए, विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट्स अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर ने पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी और गिरदावर की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि "मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वारिसान के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जाँच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है"। इसके बावजूद तहसीलदार ने मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों के अभाव का कारण बताकर नामान्तरकरण खारिज किया जो कि विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त, नामान्तरकरण खारिज करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को सुनवाई का या दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि नामान्तरकरण दस्तावेजों पर आधारित प्रक्रिया है। यदि दस्तावेज कम थे तो तहसीलदार का निर्णय उचित था, तथापि यदि दस्तावेज उपलब्ध हैं तो गुण–दोष पर निर्णय लिया जा सकता है।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर चिन्तन–मनन किया। अपीलाण्ट्स का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1150 रकबा 0.2800 हैक्टेयर व 1152 रकबा 0.0400 हैक्टेयर ग्राम अलवर नं0 2, तहसील व जिला अलवर में स्थित है, के अभिलिखित खातेदार श्री मोतीलाल पुत्र श्री भींवा जाति माली थे। श्री मोतीलाल का स्वर्गवास दिनांक 17.03.1982 को हो चुका है। अपी0, मृतक मोतीलाल के विधिक वारिस होने के नाते उक्त भूमि पर काबिज हैं। उन्होंने विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन किया था। पटवारी हल्का और भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1315 दर्ज कर अग्रेषित किया गया, परन्तु विद्वान तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 23.10.2025 के द्वारा "वाद, स्थगन, अधिग्रहण, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान की आईडी व अन्य दस्तावेजों व स्पष्ट पटवारी रिपोर्ट के अभाव" का हवाला देते हुए नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के मूल खातेदार मोतीलाल की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसानों के हक में विरासत दर्ज होनी थी। राजस्व नियमों के अनुसार विरासत का नामान्तरकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अलवर ने आलोच्य आदेश में उल्लेख किया है कि दस्तावेजों का अभाव है, दूसरी ओर पटवारी हल्का की रिपोर्ट में मृत्यु प्रमाण पत्र और शपथ पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भरने का उल्लेख है। यह एक विरोधाभासी स्थिति है। यदि तहसीलदार को दस्तावेजों में कोई कमी प्रतीत हुई, तो अपी0 को नोटिस देकर दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। पक्षकारों को बिना सुने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों (पटवारी/गिरदावर रिपोर्ट) का सही अवलोकन किए बिना सरसरी तौर पर नामान्तरकरण खारिज करना विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। अपीलाण्ट्स मृतक मोतीलाल के जायज वारिस हैं और मौके पर काबिज बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में तकनीकी कमियों के आधार पर उन्हें उनके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर द्वारा पारित आदेश नामा0 सं. 1315 दिनांक 23.10.2025 विधिविरूद्ध प्रतीत होता है। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान तहसीलदार (भू०अ०), अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2025 नामान्तरकरण संख्या 1315 को विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि मृतक श्री मोतीलाल की विरासत का नामान्तरकरण उसके वारिसानों के हक में दर्ज व तस्दीक करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)